COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(302)

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण सन 06—06

R.175-II/06

रहीम खॉन तनय श्री करीम खॉन
निवासी ग्राम बुरारन तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0...निगरानीकर्ता

बनाम

1. लतीफ खॉन तनय श्री बाबू खॉन
2. रहूफ खॉन तनय श्री बाबू खॉन
3. सरीफ खॉन तनय श्री बाबू खॉन

निवासीगण हैनीगंज मुहल्ला छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0..............गैरनिगरानीकर्तागण

श्री मुकेश भार्गव, अधि. द्वारा प्रस्तुत 3.2.06

3.2.06

3 FEB 2006

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण क0 721 / सी 129 / 2002—03 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2006 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है।

निगरानी के तथ्य

मुकेश भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 3/2/06

1. यह कि ग्राम पीरा तहसील राजनगर कि भूमि खसरा नं0 1446, 1447 रकवा क्रमशः 12.40,16.63, एकड़ का खाता निगरनीकर्ता के नाम से राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी इद्रांज है जो भूमि आवेदक के नाम जरिये वारसान नामांतरण श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय चन्द्रनगर के पंजी क्रमांक 38 आदेश दिनांक 14.05.1983 के द्वारा पिता करीम खॉन के वजह निगरानीकर्ता के नाम दर्ज की गई।
2. यह कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर के समक्ष गैरनिगरानीकर्तागणों द्वारा धारा 113 म0प्र0राजस्व संहिता 1959 के तहत अभिलेख दुरुस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे 8 / सी 129 2001 दर्ज किया जाकर निगरानीकर्ता को आहूत किया गया जिसमें निगरानीकर्ता

//2//

रहीम खॉ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 175–दो / 2006

रहीम खां विरूद्ध लतीफ खांन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों अभिभाष आदि के ह
28–02–19	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया। अतः उभयपक्ष के अनुरोध के आधार पर प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। 2/ / आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 721 / सी–129 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18–1–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 113 के तहत लेखन संबंधी गल्तियों के शुद्धिकरण बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर सुधार के आदेश दिये है। प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष त्रुटि पूर्ण है कि अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 113 के तहत लेखन संबंधी त्रुटि को सुधार के अधिकार नहीं है। इसी कारण अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश अवैधानिक	

28/2/2019

आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2006 स्थिर रखा जाता है।

उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य 28/02/2019